ऑन लाईन नं.RCMS2023/269

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 111/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुशील पुत्र श्री द्वारका प्रसाद —विक्रेता—
   मै0 कृष्णा डेयरी गली नंबर 07 इन्दिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री रमेश कुमार जांगिड़ पुत्र श्री द्वारका प्रसाद —(मालिक)—
   मै0 कृष्णा डेयरी गली नंबर 07 इन्दिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : **17.11.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः— आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.05.2023 को समय 07.30 पीएम बजे श्री सुशील पुत्र श्री द्वारका प्रसाद मैसर्स कृष्णा डेयरी गली नं. 7 दुर्गामाता मन्दिर के पास, इन्दिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर विकेता की हैसियत से मौजूद श्री सुशील पुत्र श्री द्वारका प्रसाद को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **Cow Milk** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने दुकान में रखे फीज के केन में रखे लगभग 60 लीटर **Cow Milk** को आमजन बेचान हेतु बताया। दुकान में रखे **Cow Milk** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **Cow Milk** का नमुना विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विकय हेतु उपलब्ध **Cow Milk** 02 लीटर विकेता से खरीद किया तथा मौके पर ही विकेता को उक्त कयशुदा **Cow Milk** का नगद भुगतान 100 रुपए किया तथा केशमिमो बनवाया, जिस पर विकेता, गवाहान और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विकेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुशील पुत्र श्री द्वारका प्रसाद एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं खाद्यकारोबारी श्री सुशील पुत्र श्री द्वारका प्रसाद को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Cow Milk** 02 लीटर को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर प्रत्येक बोतल में फॉर्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद कर बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1828** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप नं.के–1828** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुशील पुत्र श्री द्वारका प्रसाद एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :– एलएस/824/एक्ट/2023/824 दिनांक 12.06.2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1828 Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री सुशील पुत्र श्री द्वारका प्रसाद मैसर्स कृष्णा डेयरी गली नं. 7 दुर्गामाता मन्दिर के पास, इन्दिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **Cow Milk** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनाक 27.09.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मैसर्स कृष्णा डेयरी गली नंबर 7 दुर्गामाता मन्दिर के पास इन्दिरा कालोनी, श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 23/दिनांक 2023 का दिया है कि आपकी दुकान मे गाय का मिल्क की जांच की गई तो गाय मिल्क Substandard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त गाय मिल्क मे सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलनती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निरतारण किया जावे। उक्त प्रकरण संख्या 111/2023 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Cow Milk** का सैम्पल **K-1828** जांच रिपोर्ट क्रमांकः—:एलएरा/824/एक्ट/2023/824 दिनांक 12.06.2023 अनुसार खाद्य नमूना **K-1828 Sub-standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी मैसर्स कृष्णा डेयरी गली नंबर 7 दुर्गामाता मन्दिर के पास इन्दिरा कालोनी, श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 23/दिनांक 2023 का दिया है कि आपकी दुकान में गाय का मिल्क की जांच की गई तो गाय मिल्क Substandard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त गाय मिल्क में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलनती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निरतारण किया जावे। उक्त प्रकरण संख्या 111/2023 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Cow Milk" bearing Code No and Sr. No. K-1828, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards(Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011.** उक्त जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री सुशील पुत्र श्री द्वारका प्रसाद** एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री सुशील पुत्र श्री द्वारका प्रसाद** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2023/269

2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर